संख्या: 843/15-11/2010

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सचिव,बेसिक
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0
उ0प्र0लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 14 मई 2010

विषयः **बी0टी0सी0 हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-रा0शै0/2576/III-एक/2010-11 दिनांक 5 मई 2010 एवं पत्रांक-रा0शै0/3148/III-एक/2010-11 दिनांक 10 मई 2010का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में बी0टी0सी0 हेतु अभ्यर्थियों के चयन किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है।

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नार्मस के अनुसार उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होगें परन्तु चूँकि उ0प्र0 में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक रखा गया है। अतएव बी0टी0सी में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/सी0बी0एस0सी0 बोर्ड/आई0सी0एस0सी0 बोर्ड द्वारा मान्य इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा तथा विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के एवं विकलांग तथा अन्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एन0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार 5 प्रतिशत अंक की छूट प्राप्त होगी।
2. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त आवश्यक सूचनायें अंकित करनी होगी। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय बेवसाईट www.scertup.org एवं सबधित डायट की बेवसाईट पर उपलब्ध होगें। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र अपने गृह जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित तिथि तक पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट से उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित तिथि को सॉय 5:000 बजे के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं किये जायेगें।
3. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो सूचनायें अंकित की जायेगी उससे भिन्न सूचना तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र से इतर प्रमाण-पत्र को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं से संबधित अभिलेख संलग्न न होने की दशा में आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आवेदन पत्र प्रेषण की तिथि

के बाद कोई भी अंक पत्र/प्रमाण–पत्र एवं आरक्षण और विशेष आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र भी मान्य नहीं होगें।

5. बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी को रू0 10/– के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र अपने रंगीन फोटो (नोटरी द्वारा प्रमाणित) सहित प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को अनिवार्य रूप से देना होगा कि वह वास्तव में उ0प्र0 के ——— जनपद का मूल निवासी है, उसके द्वारा आवेदन पत्र और जॉच पत्र में भरा गया विवरण सत्य है, चयन/प्रशिक्षण/प्रशिक्षणोपरान्त किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये जाने अथवा फर्जी पाये जाने की दशा में उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। इसके अतिरिक्त जॉच के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान के प्रमाण–पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेस,पासपोर्ट, बैंक की पास बुक फोटो सहित राशन कार्ड मे से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

6. अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गो तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार में लागू आरक्षण नियमों के अनुसार होगा।

7. बी0टी0सी0 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई 2010 को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष अर्ह होगी। राज्य सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियो के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगीं।

8. विकलांग अभ्यर्थियों को बी0टी0सी0 प्रवेश के लिए कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 3–2–2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों हेतु आयु सीमा में शिथिलता शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार की जायेगी।

9. विशिष्ट आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के संबध में उ0प्र0 लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधन 1997 तथा 1999 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही आरक्षण देय होगा।

10. बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी की सूची तैयार करते समय गुणांक का आगणन हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक के प्राप्तांक के प्रतिशत के योग के आधार पर किया जायेगा।

11. प्रत्येक डायट पर मेरिट की कासिंलिग एक ही तिथि तथा एक ही समय पर होगी।

12. बी0टी0सी0 में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों के जनपद में उपलब्ध कुल सीटों के 50 प्रतिशत महिलायें एवं 50 प्रतिशत पुरूष होगें। उनमें भी 50 प्रतिशत कला वर्ग के तथा 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा। यदि किसी जनपद हेतु आवंटित सीट संख्या ऐसी है कि उसका महिला/पुरूष तथा विज्ञान/कला में विभाजन सम्भव न हो तो महिला/पुरूष तथा विज्ञान कला का भेदन करते हुए आरक्षण का ध्यान रखते हुए सर्वोच्च गुणांक के अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

13. उ0प्र0 के ऐसे शिक्षा मित्र जो प्रशिक्षण की अर्हतायें रखते हो, उनके लिए 10 प्रतिशत सीटे सुरक्षित रखी जाये। इनके लिए जनपद स्तर पर श्रेष्ठता सूची अलग से बनायी जायें इस चयन में वे शिक्षा मित्र ही अर्ह होगें जिन्होने कम से कम तीन शैक्षिक सत्र तक नियमित रूप से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य किया हो तथा अद्यतन कार्यरत हो। इस आशय का प्रमाण पत्र संबधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। जिसकी सत्यापित

प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। इन 10 प्रतिशत सुरक्षित सीटों में 50 प्रतिशत पुरूष एवं 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया जायेगा। लेकिन कला एवं विज्ञान के प्रतिबन्ध की व्यवस्था नहीं होगीं। आरक्षित विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश हेतु कला वर्ग से समायोजन की कार्यवाही विशिष्ट बी0टी0सी0 2008 में विज्ञान वर्ग की रिक्त सीटों को कला वर्ग से समायोजित करने के संबध में निर्गत शासनादेश संख्या–272/15–11–10 दिनांक 4 मार्च 2010 में निहित व्यवस्था निजी संस्थानों के पाठयकम पर भी लागू होगी।

14. इस प्रशिक्षण के लिए उ0प्र0 के अर्ह एवं इच्छुक अभ्यर्थी प्रदेश के अपने मूल जन्म स्थान वाले जनपद में आवेदन करने के पात्र होगें लेकिन गृह जनपद में स्थायी निवास होने का जपनद के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास प्रमाण–पत्र प्रशिक्षण में चयनोपरानत प्रवेश की तिथि को प्रस्तुत करना होगा।

15. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने बी0एस0सी0, बी0एस0सी0(कृषि) अथवा बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान) में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे विज्ञान स्नातक अभ्यर्थी माने जायेगे।

16 अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर आंमत्रित किये जायेगा। तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र में जो सूचनायें अंकित की जायेगी उन्हीं के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक के अंक पत्र तथा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र विशेष आरक्षण श्रेण प्रमाण–पत्र अधिवाश प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न की जायेगी।

17. बी0टी0सी प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों से शुल्क के रूप में 200/– तथा अन्य अभ्यर्थियों से रू0 400/– का बैंक ड्राफ्ट प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पदनाम से जो संबधित जनपद में देय होगा प्राप्त किया जायेगा। इस शुल्क का उपयोग श्रेष्ठता सूची तैयार कराने तथा अन्य आकस्मिक व्यय हेतु किया जायेगा। विकलांगजनों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

18. अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति निदेशक,एस0सी0ई0आर0टी0, सूचना जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से एकीकृत विज्ञापन प्रदेश के बहुप्रसारित समाचार पत्रों के समस्त संस्करणों में प्रकाशित की जायेगी।

19. विज्ञप्ति में आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक संबधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु समस्त निर्धारित अर्हतायें पूरी होनी चाहिए तथा आवेदन की अन्तिम तिथि के पूर्व के निर्गम प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें।

20. निजी संस्थाओं को बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 प्रशिक्षण में फीस निर्धारण करने हेतु इसके लिए गठित समिति का निर्णय मान्य होगा।

21. निदेशक, से प्राप्त समयसारिणी को और संक्षिप्त करते हुए प्रशिक्षणार्थियों का चयन पूर्ण करके 25–6–2010 तक संस्थानों को तथा प्रशिक्षणार्थियों का अवगत कराया जाये। शिक्षण सत्र 2010–11 जुलाई 2010 में प्रत्येक दशा में प्रारम्भ किया जाये।

22. जनपद स्तरीय चयन समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थानों तथा अपने जनपद की ऐसी निजी संस्थानों में जिनको एन0सी0टी0ई0 द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु मान्यता के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा सम्बद्वता प्रदान की गयी हो, को आवंटित सीटों की सम्मिलित संख्या के प्रतिवर्ग/श्रेणीवार वरीयताकम में औपबन्धिक चयन सूची निर्गत की जायेगी।

23 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0टी0सी प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं, जिनको राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है, उनमे आवेदन हेतु सबंधित जनपद के अभ्यर्थी ही पात्र होगें।

24. प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का मिलान प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने से पूर्व अभिलेखों का निर्गमन करने वाली संस्थाओं से कराया जायेगा। चयन/जॉच/प्रवेश/प्रशिक्षण/नियुक्ति किसी भी स्तर पर अभिलेखों में विसंगत पाये जाने पर चयनित/प्रशिक्षित/नियुक्त अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा संबधित अभ्यर्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी।

तदनुसार कृपया बी0टी0सी0 हेतु अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जितेन्द्र कुमार
सचिव

<u>सख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य परियोजना निदेशक,सर्व शिक्षा अभियान,उ0प्र0लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, निशातगंज लखनऊ
3. निदेशक,बेसिक शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ।
4. सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,उ0प्र0।
7. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,उ0प्र0।
8. सचिव परीक्षा नियायक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(बाल कृष्ण दुबे)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–11
संख्याः 897 / 15–11–2010
लखनऊःदिनाँकः 19 मई, 2010

संशोधन विज्ञप्ति

बी0टी0सी0 हेतु अभ्यर्थियों के चयन के सम्बंध में जारी शासनादेश संख्या–843 / 15–11–2010, दिनाँक 14 मई, 2010 में निम्न संशोधन किये जाते हैंः–

2– शासनादेश के प्रस्तर–7 के स्थान पर निम्न प्रस्तर–7 प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

7– बी0टी0सी0 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण हेतु आवेदन देने के वर्ष की 01 जुलाई को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न होगी। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य न होगी। अनुसूचित जाजि, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

3– शासनादेश के प्रस्तर–14 के उपरान्त निम्न प्रस्तर–14 जोड़ दिया जाएः–

14(क)–बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु उ0प्र0 के उन जनपदों, जहाँ स्थापित डाइट को एन0सी0टी0ई0 द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के संचालन की मान्यता अनुमन्य नहीं है अथवा नवसृजित जनपदों, जहाँ डाइट की स्थापना नहीं हो सकी है, उनमें रहने वाले अभ्यर्थी अपने मूल जन्म स्थान से सम्बन्धित उस जनपद में आवेदन–पत्र भेज सकेगे, जिस अविभाजित पूर्व / मूल जनपद का वह हिस्सा है, ऐसे जनपदों के बारे में निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जाएंगे। इस सन्दर्भ में अभ्यर्थी का अधिवास प्रमाण–पत्र नवसृजित जनपद के ही जिलाधिकारी देंगे, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि अभ्यर्थी का जन्म स्थान किस जनपद का पूर्व में हिस्सा / भाग था।

4– शासनादेश के प्रस्तर–21 में संशोधनः–

उक्त शासनादेश के प्रस्तर–21 में उल्लिखित तिथि 25.06.2010 के स्थान पर 25.07.2010 पढ़ा जाए।

5– शासनादेश के प्रस्तर–21 के उपरान्त नया प्रस्तर–21ए निम्नवत् जोड़ दिया जाएः–

जनपद स्तरीय चयन समिति निम्नवत होगीः–

(क)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(ग)	प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्य,राजकीय इण्टर	सदस्य

U O

कालेज/राजकीय बालिका इण्टर कालेज,
जिला मुख्यालय।

(घ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य

(ड0) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य सचिव

6– शासनादेश संख्या–843/15–11–2010 दि0 14.05.2010 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा उक्त शासनादेश के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, निशातगंज, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बी0टी0सी0 चयन हेतु निर्गत विज्ञापन में उपरोक्तानुसार संशोधन तत्काल निर्गत करायें।
3. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाल कृष्ण दुबे)
विशेष सचिव।

UO

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–11
संख्याः 1009/15–11–2010
लखनऊः दिनाँकः 01 जून, 2010

संशोधन विज्ञप्ति

बी0टी0सी0 हेतु अभ्यर्थियों के चयन के सम्बंध में जारी शासनादेश संख्या–843/15–11–2010, दिनॉक 14 मई, 2010 तथा संशोधित शासनादेश संख्या–847/15–11–2010, दिनांक 19 मई, 2010 के प्रस्तर–7 के स्थान पर निम्न प्रस्तर–7 प्रतिस्थापित किया जाता है :–

7– बी0टी0सी0 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण हेतु आवेदन देने के वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न होगी । न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य न होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

2– शासनादेश संख्या–843/15–11–2010, दिनॉक 14 मई, 2010 तथा संशोधित शासनादेश संख्या–847/15–11–2010, दिनांक 19 मई, 2010 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा उक्त शासनादेशों के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, निशातगंज, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बी0टी0सी0 चयन हेतु निर्गत विज्ञापन में उपरोक्तानुसार संशोधन तत्काल निर्गत करायें।
3. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(बाल कृष्ण दुबे)
विशेष सचिव।

आवश्यक

संख्या 1134/15-11-2010

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0,लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनाँक: 07 जुलाई, 2010

विषयः बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, 2010 के चयन के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रॉकः राशै0/9298-99/III-एक/2010-11, दिनॉकः 01 जुलाई, 2010 में इंगित बिन्दु/समस्याओं के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त आपके पत्र दिनॉकः 01 जुलाई, 2010 में इंगित प्रस्ताव को स्वीकारते हुए नव-सृजित/विभाजित जनपदों में बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के उद्देश्य से निम्नलिखित तालिका के कालम-1 में अंकित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एन.सी.टी.ई. द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु आवंटित सीटों में से आधी सीटें (50 प्रतिशत सीट) कालम-2 में उल्लिखित विभाजित जनपद के आवेदक अभ्यर्थियों को चयन का अवसर प्रदान करने हेतु आवंटित की जाए:-

कॉलम-1		कॉलम-2	कॉलम-1		कॉलम-2
जनपद	आवंटित सीट	विभाजित जनपद	जनपद	आवंटित सीट	विभाजित जनपद
मुरादाबाद	200	जे0पी0नगर	फैजाबाद	200	अम्बेडकरनगर
कन्नौज	200	फर्रुखाबाद	गोण्डा	200	बलरामपुर
वाराणसी	200	चन्दौली	बहराइच	200	श्रावस्ती
बस्ती	200	संत कबीर नगर	महोबा	200	हमीरपुर

2- उक्त सीमा तक तद्-विषयक शासनादेश संख्याः- 843/15-11-2010, दिनॉकः 14 मई, 2010 का प्रस्तर-14 एवं विज्ञप्ति संख्या-897/15-11-2010, दिनॉकः 19 मई, 2010 का प्रस्तर-3, संशोधित माना जाए

कृपया तदनुसार सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों, शिक्षा विभाग को एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–11
संख्या–1263/15–11–10
लखनऊः दिनांकः 16 जुलाई, 20010

विज्ञप्ति/संशोधन

बी0टी0सी0 हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में जारी शासनादेश सं0–843/15–11–10, दि0–14 मई, 2010 के प्रस्तर–15 में उपरान्त निम्न प्रस्तर 15– जोंड दिया जाये ।

15(क)– व्यवसायिक योग्यता स्नातक के रूप में अर्हताधारी अभ्यर्थी, जिन्होने इण्टरमीडिएट कला वर्ग से किया है तथा बैचलर ऑफ म्यूजिक बैचलर आफ आर्टस् बी0बी0ए0 उपाधिधारी है, उन्हें कला वर्ग में तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण करने के उपरान्त बी0सी0ए0,बी0टेक,बी0ई0, बी0यू0एम0ए0, बी0बी0एस0, बी0 फार्मा, बी0एस0सी0, फारेस्ट की परीक्षा उत्तीर्ण की है । उन्हें विज्ञान वर्ग के अर्न्तगत माना जायेगा । इसी प्रकार बी0एस0सी0 नर्सिंग, बी0एस0सी0 मिलिट्री साइंस तथा बी0एस0सी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा यदि इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण किया है तो स्नातक स्तर पर उक्त उपाधिधारियों को विज्ञान वर्ग में माना जायेगा ।

2– तद्नुसार शासनादेश सं0–843/15–11–10, दि0–14 मई, 2010 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । शासनादेश दि0–14 मई, 2010 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी ।

बाल कृष्ण दूबे
विशेष सचिव।

संख्या–1263 (1)/15–11–10, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ ।
2– निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, लखनऊ ।
3– निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ ।
4– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद,, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
5– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
7– समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(बाल कृष्ण दूबे)
विशेष सचिव।